खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 2212/ब.आ.प./2008–2009/दे.दून/दिनांक 26 अगस्त, 2008

जिला क्रीड़ा अधिकारी,
देहरादून।
(आहरण–वितरण अधिकारी, खेल निदेशालय)

विषयः– राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार के अनावासीय भवन के अनुरक्षण हेतु विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 258/VI-1/2006–2 (5) 2008 दिनांक 14 अगस्त, 2008 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार के अनावासीय भवन के अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इकाई पौड़ी द्वारा तैयार आंगणन रू. 8.66 लाख (रू. आठ लाख छियासठ हजार मात्र) के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू. 8.04 लाख (रू. आठ लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की है–

2. आंगणन में उल्लखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा, तदोपरान्त ही आंगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

5. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात ही कार्य आरम्भ करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात ही कार्य आरम्भ करें।

7. आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगंणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आंगणन गठित करते समय स्वीकृति ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दे एवं डिग्री कालेजों/मेडिकल के हास्टलों का निर्माण एच.आई.सी. के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आंगणन गठित किया जाय।

11. मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047 XII–219/ (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता

है, जिसके व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

13. किसी भी व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी. की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टैन्डर (क्वोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

14. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर)–09–अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण–24–वृहत निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

अतः आप उपरोक्त धनराशि रू. 8.04 लाख (रू. आठ लाख चार हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पौड़ी गढ़वाल के अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त बजट आंवटन को बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या 43 पर अंकित कर लिया गया है।

(एन.एस. नेगी)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एंव हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. खेलमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. सहायक निदेशक, पौड़ी गढ़वाल
5. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि उल्लखित शर्तों के अधीन कार्य कराते हुये धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर खेल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जा सकें।
6. उप क्रीड़ा अधिकारी, राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर.के. चतुर्वेदी)
अपर निदेशक खेल